b) सामान्य प्रबंधन सूचना तंत्र की रिपोर्ट आवश्यकतानुसार तैयार करना

c) परिषद् को संचालन हेतु सहायता प्रदान करना।

14. **मनोनीत सदस्यों के लिए शर्तें व बंधेज** :–

i. मनोनीत व सामंजित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः छह वर्षों का होगा, परंतु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और रिक्त पदों पर भर्ती कुलाधिपति द्वारा की जाएगी अगर निवृत्त होने वाले सदस्य कुलाधिपति द्वारा मनोनीत हैं, और अगर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य निवृत्त हो रहे हैं तो सरकार सदस्यों की नियुक्ति करेगी और यदि परिषद् द्वारा सहयोजित सदस्य निवृत्त होंगे तो परिषद् उनकी जगह पर नये सदस्यों का सहयोजन करेगी।

ii. किसी भी अवस्था में परिषद् के बीस सदस्य राज्य के होंगे तथा अन्य पाँच व्यक्ति राष्ट्रीय ख्याति के होंगे (राज्य के बाहर के)।

iii. मनोनीत और सहयोजित सदस्य लिखित रूप में परिषद् के अध्यक्ष को अपनी सदस्यता से त्याग–पत्र दे सकते हैं पर उनकी सदस्यता तब तक बनी रहेगी जब तक कि उनका इस्तीफा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत नहीं किया जाता है।

iv. मनोनीत तथा सहयोजित सदस्य निर्धारित दर पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और बैठक शुल्क के हकदार होंगे।

v. इस सेवा के अन्य शर्त एवं बंधेज इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होंगे।

15. **अयोग्यता** :

i. कोई भी व्यक्ति मनोनयन के योग्य नहीं होंगे अथवा परिषद् की सदस्यता बनाये नहीं रख सकेंगे, यदि उस समय वे –

(a) मानसिक रूप से अस्वस्थ हों ;

(b) ऋण न चुकाने की वजह से सजायाफ्ता हों ;

(c) किसी फौजदारी अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए सश्रम कारावास की सजा पा चुके हों, इसके साथ ही नैतिक चरित्रहीनता के दोषी पाये गये हों ;

(d) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या उनके सहयोगी की परिषद् के किसी काम में हिस्सेदारी अथवा स्वार्थ निहित हो अथवा परिषद् की ओर से जारी किसी संविदा में उनकी संलिप्तता पायी जाय ;

(e) कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी और विश्वविद्यालय की सेवा से दुर्व्यवहार अथवा लापरवाही की वजह से हटाया गया हो ;

ii. किसी भी विवाद या संदेह की अवस्था में कि कोई व्यक्ति उप अनुच्छेद (i) के अधीन अयोग्य है तो उस मामले में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

iii. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक न हो, परिषद् की सदस्यता के लिए इस अधिनियम के अधीन मनोनयन का पात्र नहीं होगा।

16. **परिषद् की बैठक** :

i. परिषद् की बैठक नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर होगी, किन्तु तीन महीने में एक बैठक अवश्य होगी।

ii. परिषद् को समुचित निर्णय लेने का अधिकार होगा अगर परिषद् की बैठक में किसी सदस्य की रिक्तता का विरोध करना पड़े अथवा गठन में किसी प्रकार की त्रुटि हो और यह जानते हुए भी परिषद् की कार्यवाही वैद्य होगी कि परिषद् की कार्यवाही में कोई व्यक्ति, जो सदस्य होने का अधिकारी न हो और वह बैठक में शामिल हो चुका हो या परिषद् की कार्यवाही में भाग ले चुका हो।

iii. परिषद् की बैठक का संयोजन अध्यक्ष के परामर्श से कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाएगा।

iii. परिषद् की बैठक का कोरम इसके कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई होगा और उपस्थित सदस्यों के मतदान और सामान्य बहुमत से निर्णय लिये जा सकेंगे।

17. **परिषद् के कर्मी** :

परिषद् आवश्यकतानुसार कर्मियों की नियुक्ति करेगा जिससे कि उसके कार्यों का संचालन सुचारू ढंग से हो सके। परिषद् के कर्मियों की सेवा शर्त एवं बंधेज विनियमों के तहत निर्धारित होंगे।

18. **परिषद् की निधि** :

i. परिषद् की निधि में वो सभी धनराशियाँ होंगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा प्रदत्त हों और अन्य प्राप्तियाँ जो केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकार, संस्थान या व्यक्ति द्वारा दी गयी हो।

ii. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सरकार परिषद् को उतनी धनराशि उपलब्ध कर सकती है जो इसके सफल संचालन और जिम्मेवारियों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए जरूरी हो।

iii. इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गये सारे व्यय निधि की राशि से चुकाये जाएंगे और यदि कोई अतिरिक्त राशि व्यय के बाद बची हो तो वर्णित प्रावधानों के अनुसार उसे निवेशित किया जाएगा।

19. **वार्षिक लेखा और अंकेक्षण** :

i. परिषद् की लेखा विवरणी निर्धारित मानदण्डों व प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जाएगी।

ii. परिषद् वार्षिक लेखा का विवरण निर्धारित स्वरूप और तरीके से नियमानुसार तैयार करेगी।

iii. परिषद् के लेखा का अंकेक्षण वर्ष में एक बार सरकार की ओर से नियुक्त अथवा प्रतिनियुक्त अंकेक्षक द्वारा कराया जाएगा।

iv. परिषद् के कार्यकारी निदेशक वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन मुद्रित रूप में तैयार करेंगे और उस प्रतिवेदन को परिषद् के समक्ष अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

v. परिषद् अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शायी गयी किसी भी त्रुटि अथवा अनियमितता को दूर करने हेतु समुचित कार्यवाही करेगी।

vi. अंकेक्षक अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन को परिषद् की टिप्पणी के साथ सत्यापित करते हुए निर्धारित समयावधि में सरकार को अनुशंसित करेंगे।

20. **वार्षिक प्रतिवेदन** :

इस अधिनियम के अधीन परिषद् प्रतिवर्ष अपनी वर्ष भर की गतिविधियों का प्रतिवेदन तैयार करेगी तथा सरकार को यह प्रतिवेदन सौंपेगी।

21. **परिषद् के सदस्य व कर्मी सरकारी सेवक होंगे** :

परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी इस अधिनियम के द्वारा जारी किये गये किसी प्रावधान अथवा नियम अथवा विनियम या आदेश या निर्देश के अनुरूप कार्यरत होंगे, उनका निष्पादन करेंगे तो भारतीय दण्ड संहिता (केन्द्रीय अधिनियम 1860 का XLV) के अनुच्छेद 21 के आशयानुसार सरकारी सेवक समझे जाएंगे अथवा सरकारी सेवक समझे जाने के दावेदार होंगे।

22. **विनियम बनाने की शक्ति** :

परिषद् सरकार द्वारा अग्रिम अनुमोदन प्राप्त कर विनियम बना सकेगी किंतु इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों अथवा इसके उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से वह असंगत न हो।

23. **नियम बनाने की शक्ति** :

i. सरकार, अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के संपूर्ण अथवा किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी।

ii. इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम को यथाशीघ्र राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जब सत्र का पूर्ण काल चौदह दिनों की कुल अवधि का हो जो कि एक सत्र अथवा दो लगातार सत्रों में हो, और अगर, इस सत्र की समाप्ति के पहले जिसमें इसे पेश किया जाता है या जो सत्र ठीक इसके बाद आता है, विधानसभा कानून में कोई संशोधन करती है या फैसला किया जाता है कि कानून नहीं बनना चाहिए तो वह (कानून) संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा अन्यथा निष्प्रभावी होगा जैसा मामला हो, हालांकि इस तरह का कोई संशोधन या विलोपन कानून के तहत किये गये कार्य की वैधता के प्रति पूर्वाग्रह से रहित होगा।

24. **अड़चनों/बाधाओं को दूर करने की शक्ति** :

i. इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो सरकार आदेश के द्वारा स्थिति की आवश्यकतानुसार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो, और अड़चन को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत होता हो।

ii. उप–अनुच्छेद (1) के अंतर्गत निर्गत किये गये प्रत्येक आदेश को इसे बन जाने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

———

यह विधेयक झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016 दिनांक 18 मार्च, 2016 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 18 मार्च, 2016 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

दिनेश उराँव 05.04.16

(दिनेश उराँव)

अध्यक्ष ।

मै इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करती हूँ।

राज्यपाल

दिनांक 11.05.16...झारखण्ड, राँची

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 10—50—7—4—2016 ।